भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1155
दिनांक 28 जून, 2019 को उत्तर के लिए

आईएमआर और एसबीआर

1155. श्री ए॰ राजाः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देशभर में नवजात शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), मृत शिशु जन्म दर (एसबीआर) और वृद्ध लोगों में पोषण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कौन से कार्यक्रम/ योजनाएं कार्यान्वित/प्रचालित की जा रही हैं;
(ख) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देशभर में उक्त कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत मंजूर, आवंटित और उपयोग की गई निधि का तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) इस कार्यक्रम के तय लक्ष्यों और अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;
(घ) पूरे देश में इस कार्यक्रम/योजना के तहत शामिल मामलों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार इस योजना में कोई संशोधन करने पर विचार कर रही है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (घ): जनस्वास्थ्य राज्य का विषय है। तथापि शिशुओं की मृत्यु एवं मृत बच्चों के जन्म को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रम/स्कीमें इस प्रकार हैं :

i. जननी सुरक्षा योजना तथा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत नकद प्रोत्साहन के माध्यम से संस्था में प्रसव को बढ़ावा देने के लिए जनस्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाएं नि:शुल्क प्रसवपूर्व जांच, सिजेरियन प्रसव सहित प्रसव, प्रसव पश्चात देखरेख तथा एक साल की आयु तक बीमार बच्चे के उपचार के लिए हकदार हैं।
ii. व्यापक एवं गुणवत्तापूर्ण पुनर्जन्म, मातृत्व, नवजात, बाल एवं किशोर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए डिलीवरी केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण, सभी प्रसव केन्द्रों पर आवश्यक नवजात देखरेख का सुनिश्चय, बीमार एवं छोटे बच्चों की देखरेख के लिए विशेष नवजात देखरेख यूनिटों, नवजात स्थिरता यूनिटों तथा कंगारू मातृ देखरेख यूनिटों की स्थापना। 2030 तक "एकल डिजिट में नवजात मृत्युदर" और "एकल डिजिट में मृत शिशु जन्मदर" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समावेत प्रयास करने हेतु 2014 में भारतीय नवजात कार्ययोजना (आईएनएपी) शुरू की गई। नवजातों के आहार के लिए मां के दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एसएनसीयू तथा स्तन पान प्रबंध यूनिटों के साथ उप जिला स्तर पर सुविधाओं में व्यापक स्तन पान प्रबंध केन्द्र (सीएलएमसी) क्रियाशील किए गए हैं।

बच्चों के पालन की प्रथाओं में सुधार के लिए आशा द्वारा गृह आधारित नवजात देखरेख तथा गृह आधारित बाल देखरेख की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

iii. जल्दी से स्तनपान शुरू करने एवं पहले 6 माह तक केवल स्तनपान तथा उपयुक्त शिशु एवं बाल आहार प्रथाओं को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अभिसरण में बढ़ावा दिया जाता है। जच्चा बच्चा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान तथा स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा सहित जच्चा बच्चा देखरेख पर जागरूकता पैदा करने के लिए ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस मनाये जाते हैं। मास मीडिया अभियान के माध्यम से स्तनपान की प्रथाओं (1 घंटे के अंदर स्तन पान कराना शुरू करने, 6 माह तक केवल स्तनपान कराने तथा 2 वर्ष तक या इसके बाद भी स्तनपान कराना जारी रखने के साथ 6 माह की आयु में पूरक आहार शुरू करने) की प्रथाओं में सुधार के लिए मां का परम स्नेह (मां) और स्वास्थ्य सुविधाओं में एवं समुदायों में स्वास्थ्य देखरेख प्रदाताओं की क्षमता का निर्माण।

iv. टीबी, डिप्थीरिया, काली खांसी, पोलियो, टिटनस, हैपेटाइटिस बी, खसरा, रूबेला, निमोनिया तथा हीमोफिलस एंफ्लुएंजा बी से उत्पन्न मिनेनजाइटिस जैसी जानलेवा बीमारियों के विरूद्ध बच्चों के टीकाकरण में सुधार के लिए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। ऐसे बच्चों के टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष तथा गहन मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है या आंशिक टीकाकरण हुआ है अर्थात जो विभिन्न कारणों से नेमी टीकाकरण के दौरान शामिल नहीं हो पाए हैं।

v. चिकित्सा कॉलेजों सहित देश की 2100 से अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रसव कक्ष गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

vi. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हर माह की नौवीं तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वभौमिक रूप से नियत दिवस आशवस्त, व्यापक एवं गुणवत्तापूर्ण प्रसव पश्चात देखरेख प्रदान करने के लिए कार्यान्वित कियाजा रहा है।

vii. सभी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में रक्ताल्पता से पीड़ित गर्भवती महिलाओं सहित गर्भवती महिलाओं की सार्वभौमिक जांच की जाती है तथा सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्व अवधि में आयरन एवं फॉलिक एसिड के 180 टेबलेट तथा प्रसव पश्चात अवधि में 180 आईएफए टेबलेट दिए जाते हैं। नैदानिक दृष्टि से रक्ताल्पता से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को उपचार के अंग के रूप में टैबलेट की दोहरी खुराक दी जाती है।

viii. जिला अस्पतालों तथा चिकित्सा कॉलेजों में प्रसव कक्ष के मानकीकरण तथा प्रसूति एचडीयू एवं प्रसूति आईसीयू के सृजन पर दिशा-निर्देश भी तैयार किए गए हैं तथा प्रसव एवं बच्चे के जन्म के दौरान देखरेख की गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्यों को भेजे गए हैं।

ix. अनुसूची के अनुसार पूर्ण प्रसवपूर्ण, प्रसव के मध्य तथा प्रसव पश्चात देखरेख एवं पूर्णटीकाकरण के सुनिश्चय के लिए माताओं तथा दो साल की आयु तक के बच्चों की नाम आधारित ट्रैकिंग (जच्चा बच्चा ट्रैकिंग सिस्टम) की जाती है।

x. समुदाय में 0-18 वर्ष के आयुवर्ग में सभी बच्चों को व्यापक देखरेख प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य जांच, जन्मजात दोषों की शीघ्रता से पहचान करने के लिए, बीमारियों, खामियों, विकास में विलंब तथा शीघ्र हस्तक्षेप सेवाओं के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्रियाशील किया गया है।

xi. चिकित्सा जटिलताओं के साथ दाखिल गंभीर कुपोषण से पीड़ित बच्चों के उपचार एवं प्रबंध के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में राष्ट्रीय पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

xii. असुरक्षित आयु वर्ग में रक्ताल्पता की रोकथाम के लिए आयरन एवं फौलिक एसिड संपूरण, केवल स्तनपान को बढ़ावा देने तथा वहन अतिसार नियंत्रण पखवाड़ा के तहत बच्चों में अतिसार के प्रबंध के लिए ओआरएस एवं जिंक के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आशा द्वारा घरों का दौरा, राष्ट्रीय

क्रमिनाशन दिवस (फरवरी एवं अगस्त) के दौरान 1-19 वर्ष के आयुवर्ग में सभी बच्चों को कीड़े मारने के टेबलेट दिए जाते हैं।

xiii. मांग सृजित करने तथा सेवा अपटेक में सुधार के लिए जागरूकता पैदा करने तथा स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावो देने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) और आचरण परिवर्तन संचार(बीसीसी) के माध्यम से स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा।

xiv. विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों में मलेरिया के कारण रक्ताल्पता की समस्या से निपटने के लिए मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में अधिक दिन तक चलने वाले इनसेक्टीसाइड नेट तथा कीटनाशक उपचारी बेडनेट का वितरण किया जाता है।

xv. उपकेन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के मौजूदा नेटवर्कके माध्यम से तथा ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर आउटरीच की गतिविधियों के माध्यम से प्रसवपूर्व दौरों के दौरान गर्भवती महिलाओं को आहार के बारे में सलाह दी जाती है।

xvi. गर्भावस्था, प्रसव तथा आवश्यक नवजात देखरेख के दौरान मां के बुनियादी एवं व्यापक प्रसव देखरेख में स्वास्थ्य देखरेख प्रदाताओं के कौशलों का निर्माण करने एवं अपग्रेड करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण संचालित किए जाते हैं।

पिछले तीन वर्षों (2016-17, 2017-18 और 2018-19) के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए जारी की गई निधियों का ब्यौरा अनुलग्नक-1 में उपलब्ध है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत वर्ष 2019 के लिए शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य 28 प्रति 1000 जीवित जन्म है तथा 2025 तक मृत शिशु जन्म दर को एकल डिजिट में लाने का लक्ष्य है।

भारतीय महापंजीयक की नवीनतम प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली बुलेटिंग के अनुसार 2017 में राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर 33 प्रति 1000 जीवित जन्म है (अनुलग्नक-2) और 2016 में मृत शिशु जन्म दर 4 प्रति 1000 जीवित जन्म है (अनुलग्नक-3)।

वर्ष 2018-19 के लिए प्रमुख जच्चा बच्चा स्वास्थ्य संकेतकों का स्टेटस अनुलग्नक-4 में उपलब्ध है।

(ड) और (च): इस समय उक्त स्कीम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

****

अनुलग्नक-**1**

दिनांक **28.06.2019** को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1155 के उत्तर के भाग क से घ में संदर्भित विवरण

वित्त वर्ष **2016-17** से **2018-19** की अवधि के दौरान आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल (नेमी टीकाकरण, पल्सपोलिया टीकाकरण तथा राष्ट्रीय आयोडीन डिफिसिएंसी डिसआर्डर नियंत्रण कार्यक्रम सहित) के तहत निर्मुक्ति एवं व्यय तथा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आवंटन एवं निर्मुक्ति

करोड़ रूपये में

क्र.सं.	राज्य	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
		निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय	आवंटन	निर्मुक्ति
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14.83	7.33	-	3.74	0.50	4.00	4.32	-
2	आंध्र प्रदेश	176.58	393.22	140.04	174.05	117.00	250.79	119.42	-
3	अरुणाचल प्रदेश	58.18	46.62	31.44	29.89	49.34	33.13	38.92	-
4	असम	361.14	567.06	283.47	245.80	319.24	305.40	218.86	-
5	बिहार	331.28	745.16	307.29	699.23	248.23	780.99	248.78	-
6	चंडीगढ़	9.67	9.03	2.53	1.62	2.72	2.52	3.64	-
7	छत्तीसगढ़	151.89	263.57	139.63	237.14	98.44	248.50	102.81	62.46
8	दादरा और नागर हवेली	5.51	9.41	3.52	2.87	3.79	2.92	3.90	-
9	दमन और दीव	4.65	5.33	-	1.18	1.46	2.15	2.91	-
10	दिल्ली	104.44	65.49	32.20	18.38	30.88	18.40	33.63	-
11	गोवा	3.65	7.43	3.59	3.23	2.93	5.19	3.37	-
12	गुजरात	216.04	405.75	168.25	376.97	146.23	456.40	146.24	-
13	हरियाणा	77.63	178.25	59.89	85.97	51.74	106.49	52.66	31.55
14	हिमाचल प्रदेश	66.61	78.52	46.95	54.98	43.81	56.42	45.19	27.09
15	जम्मू और कश्मीर	133.74	216.82	133.95	85.49	96.85	106.50	100.97	59.54
16	झारखंड	154.98	286.62	125.45	214.75	96.62	248.76	105.00	-
17	कर्नाटक	215.96	340.33	173.21	224.59	131.89	245.83	146.08	86.23
18	केरल	90.14	165.37	76.25	114.53	64.48	137.89	64.48	-
19	लक्षद्वीप	1.19	1.45	0.65	0.48	0.72	1.01	0.84	-
20	मध्य प्रदेश	361.74	849.97	297.24	682.07	233.97	707.50	244.72	124.58
21	महाराष्ट्र	399.98	499.52	264.88	382.23	256.88	424.96	257.44	-

वित्त वर्ष **2016-17** से **2018-19** की अवधि के दौरान आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल (नेमी टीकाकरण, पल्सपोलिया टीकाकरण तथा राष्ट्रीय आयोडीन डिफिसिएंसी डिसआर्डर नियंत्रण कार्यक्रम सहित) के तहत निर्मुक्ति एवं व्यय तथा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आवंटन एवं निर्मुक्ति

करोड़ रूपये में

क्र.सं.	राज्य	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
		निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय	आवंटन	निर्मुक्ति
22	मणिपुर	27.95	31.29	37.23	24.35	27.10	36.51	24.97	-
23	मेघालय	39.51	48.99	39.16	29.23	35.44	36.24	26.46	-
24	मिजोरम	15.77	32.93	21.64	14.63	20.02	18.29	14.30	-
25	नागालैंड	27.29	35.62	24.29	16.33	24.60	23.56	18.26	-
26	ओडिशा	179.64	398.29	138.72	316.77	134.97	351.85	134.97	81.99
27	पुदुच्चेरी	15.28	9.61	7.48	4.20	4.25	4.90	5.65	-
28	पंजाब	84.99	176.81	74.51	79.75	56.54	106.35	57.55	-
29	राजस्थान	364.19	551.62	298.62	465.00	241.57	551.72	246.16	-
30	सिक्किम	7.76	12.91	8.14	3.48	5.68	6.23	6.49	-
31	तमिलनाडु	217.40	496.25	196.28	254.65	140.48	272.48	146.95	86.97
32	त्रिपुरा	39.57	36.83	18.25	46.01	37.45	40.51	26.46	-
33	उत्तर प्रदेश	658.87	1,435.70	567.80	1,205.68	459.91	1,281.44	495.60	-
34	उत्तराखंड	82.00	113.74	55.71	102.86	61.65	85.72	61.77	37.20
35	पश्चिम बंगाल	252.44	686.35	191.72	511.36	158.20	434.83	170.66	-
36	तेलंगाना	107.24	236.16	97.62	118.58	83.95	129.89	85.46	-
कुल योग		**5,059.73**	**9,445.35**	**4,067.60**	**6,832.06**	**3,489.53**	**7,526.28**	**3,465.89**	**597.61**

टिप्पणी : (1) चूंकि वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद आवंटन की कोई प्रासंगिकता नहीं है इसलिए यह उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(2) उपर्युक्त निर्मुक्तियां केन्द्र सरकार के अनुदान से संबंधित हैं तथा इसमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है।

(3) व्यय में केन्द्रीय निर्मुक्ति, राज्य निर्मुक्ति तथा वर्ष के आरंभ में अप्रयुक्त शेष के विरूद्ध व्यय शामिल है। वित्त वर्ष 2018-19 (एफएमआर के अनुसार 31.03.2019 तक) के लिए व्यय अनंतिमहै।

(4) आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल में आरआई (नकद अनुदान), पीपीआई (नकद अनुदान और एनआईडीडीसीपी शामिल हैं।

अनुलग्नक-2

दिनांक 28.06.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1155 के उत्तर के भाग क से घ में संदर्भित विवरण

भारत में राज्य शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), एसआरएस 2017

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईएमआर (2017)
भारत	33
अंडमान और निकोबार	14
आंध्र प्रदेश	32
अरुणाचल प्रदेश	42
असम	44
बिहार	35
चंडीगढ़	14
छत्तीसगढ़	38
दादरा और नगर हवेली	13
दमन और दीव	17
दिल्ली	16
गोवा	9
गुजरात	30
हरयाणा	30
हिमाचल प्रदेश	22
जम्मू और कश्मीर	23
झारखंड	29
कर्नाटक	25
केरल	10
लक्षद्वीप	20
मध्य प्रदेश	47
महाराष्ट्र	19
मणिपुर	12
मेघालय	39
मिजोरम	15
नगालैंड	7
ओडिशा	41
पुडुचेरी	11
पंजाब	21
राजस्थान	38
सिक्किम	12
तमिलनाडु	16
तेलंगाना	29
त्रिपुरा	29
उत्तर प्रदेश	41
उत्तराखंड	32
पश्चिम बंगाल	24

अनुलग्नक-**3**

दिनांक **28.06.2019** को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1155 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में संदर्भित विवरण

एसआरएस, **2016** के अनुसार मृत शिशु जन्म दर की स्थिति		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मृत शिशु जन्म दर (एसआरएस **2016**)
1	बिहार	3
2	छत्तीसगढ़	10
3	हिमाचल प्रदेश	24
4	जम्मू और कश्मीर	2
5	झारखंड	0
6	मध्य प्रदेश	8
7	ओडिशा	13
8	राजस्थान	3
9	उत्तर प्रदेश	3
10	उत्तराखंड	9
11	अरुणाचल प्रदेश	-
12	असम	2
13	मणिपुर	-
14	मेघालय	-
15	मिजोरम	-
16	नगालैंड	-
17	सिक्किम	-
18	त्रिपुरा	-
19	आंध्र प्रदेश	3
20	गोवा	-
21	गुजरात	6
22	हरयाणा	5
23	कर्नाटक	6
24	केरल	6
25	महाराष्ट्र	4
26	पंजाब	6
27	तमिलनाडु	3
28	तेलंगाना	1
29	पश्चिम बंगाल	3
30	एक और एन द्वीप	-
31	चंडीगढ़	-
32	दादरा और नगर हवेली	-
33	दमन और दीव	-
34	दिल्ली	4
35	लक्षद्वीप	-
36	पुडुचेरी	-
भारत		**4**

अनुलग्नक-**4**

दिनांक **28.06.2019** को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1155 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में संदर्भित विवरण

प्रमुख जच्चा बच्चा स्वास्थ्य संकेतकों की स्थिति					
		4 या अधिक एएनसी जांच प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या	संस्था में प्रसव **(**सरकारी **+**निजी**)**	**1** घंटे के अंदर स्तनपान करने वालेनवजातोंकीसंख्या	पूर्णत: टीकाकृत बच्चों **(9-11** माह**)** की संख्या
	अखिल भारतीय	21,117,098	19,059,280	18,180,464	22,424,715
1	एक और एन द्वीप	4,201	3,715	3,318	3,990
2	आंध्र प्रदेश	848,232	742,650	710,998	846,134
3	अरुणाचल प्रदेश	9,516	16,563	15,581	18,785
4	असम	566,773	532,816	568,885	594,960
5	बिहार	2,174,659	1,695,938	1,975,200	2,269,847
6	चंडीगढ़	37,697	28,881	22,204	18,240
7	छत्तीसगढ़	566,395	475,873	472,937	566,952
8	दादरा और नगर हवेली	6,923	9,035	7,767	8,386
9	दमन और दीव	6,266	3,854	2,567	5,314
10	दिल्ली	408,418	271,487	203,318	298,011
11	गोवा	18,154	17,921	13,779	19,708
12	गुजरात	1,143,833	1,104,816	1,000,237	1,148,695
13	हरयाणा	439,932	475,699	447,301	492,055
14	हिमाचल प्रदेश	88,490	76,598	72,829	101,629
15	जम्मू और कश्मीर	289,687	188,700	175,122	203,457
16	झारखंड	748,568	703,894	678,024	653,753
17	कर्नाटक	1,123,482	910,334	858,104	1,054,412
18	केरल	515,921	483,145	442,833	462,429
19	लक्षद्वीप	1,166	845	734	1,024
20	मध्य प्रदेश	1,386,210	1,300,239	1,265,252	1,400,603
21	महाराष्ट्र	1,892,039	1,706,694	1,565,102	1,825,849
22	मणिपुर	29,019	31,295	33,611	35,016
23	मेघालय	52,325	48,622	74,786	41,966
24	मिजोरम	15,984	16,893	19,963	15,651
25	नगालैंड	8,136	16,179	16,493	14,114
26	ओडिशा	584,695	596,236	579,472	689,267
27	पुडुचेरी	67,567	43,970	38,250	14,930
28	पंजाब	358,671	364,370	298,355	373,867
29	राजस्थान	908,721	1,345,649	1,193,821	1,379,951
30	सिक्किम	6,278	7,042	5,972	7,629
31	तमिलनाडु	962,931	874,844	615,061	950,186
32	तेलंगाना	841,309	517,090	388,525	602,561
33	त्रिपुरा	40,820	47,073	43,618	46,876
34	उत्तर प्रदेश	3,468,367	2,984,292	3,179,894	4,684,237
35	उत्तराखंड	125,803	128,043	128,507	182,628
36	पश्चिम बंगाल	1,369,910	1,287,985	1,062,044	1,391,603
स्रोत: स्वास्थ्य प्रबंध सूचना प्रणाली					